



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257592
CG-DL-E-03102024-257592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/अश्विन 5, 1946

No. 265]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच की शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 27, सितम्बर 2024
मामला सं. एडी (ओआई) - 30/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ल नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/32/2024-डीजीटीआर: पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "आवदेक" या "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ल नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आगे वास्तविक क्षति का खतरा है और उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद "कोल्ड रोलड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" (सीआरएनओ) है। इसमें सिलिकॉन-इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे कॉइल में हों या नहीं, चौड़ाई और मोटाई की परवाह किए बिना।
4. सीआरएनओ को शीट की प्लेन में सभी दिशाओं (नॉन ओरिएंटेड) में बिल्कुल समान मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (जीओईएस) में सुपीरियर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल विशेषताएं होती हैं तथा शीट के प्लेन में लंबाई वार दिशा के साथ बेहतर विशेषताएं होती हैं, परंतु अन्य दिशाओं में कम अनुकूल विशेषताएं होती हैं।
5. सीआरएनओ का उल्लेख नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि के रूप में भी किया जाता है। इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है।
6. पीयूसी में सभी प्रकार के सीआरएनओ चाहें कोटेड हों या नहीं, शामिल हैं (उदाहरण के लिए इनामिल, वारनेस, नेचुरल ऑक्साइड सतह, फास्फेट सतह या रासायनिक रूप से अन्य सामग्रियों से उपचारित)।

अपवर्जन

7. सीआरएनओ के विनिर्माण में प्रयुक्त कोल्ड रोलड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) पीयूसी के दायरे से बाहर है।

प्रयोग

8. सीआरएनओ का व्यापक रूप से बड़े आकार के विद्युत जनरेटरों से लेकर छोटे आकार की कुशल इलेक्ट्रिक मोटरों की रोटेटिंग मशीनों की लौह अयस्क सामग्रियों के लिए होता है जिसे घरेलू उपकरण, एचईवी/ईवी ट्रेक्शन मोटर, बड़े जनरेटर, औद्योगिक मोटर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

9. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एचएस कोड 72251920, 72251990, 72261920 और 72261990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, पीयूसी के आयात कतिपय अन्य एचएस कोडों अर्थात् 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 और 72261100 में भी देखें गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।

पीयूसी के लिए प्रस्तावित पीसीएन				
क्र. सं.	विशेषताएं	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
1	मोटाई	2	0.35 मिमी. तक और उसके सहित	टी1
			0.35 मिमी से अधिक और 0.5 मिमी तक	टी2
			0.5 मिमी. से	टी3

पीयूसी के लिए प्रस्तावित पीसीएन				
क्र. सं.	विशेषताएं	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
			अधिक	
2	कोर लॉस (50 हाटर्ज की आवृत्ति पर और 1.5 टेसला की अधिकतम फ्लक्स घनत्व तत्व)	2	3.50/किलोग्राम तक और उसके सहित	सी1
			3.50 वाट/किलोग्राम से अधिक और 5.00 वाट/किलोग्राम तक	सी2
			5.00 वाट/किलोग्राम से अधिक	सी3

11. वर्तमान जांच के लिए पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों, प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

12. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। इन दोनों उत्पादों के तकनीकी विनर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथमदृष्ट्या तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

13. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

14. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

15. यह आवेदन पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।

16. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदक अर्थात् पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मापदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**क. सामान्य मूल्य**

17. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देती है, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।
18. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया है।

ख. निर्यात कीमत

19. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। कारखानाद्वार स्तर पर कीमत की गणना के लिए उचित कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन सकें।

ग. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

घ. क्षति और कारणात्मक संबंध

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव डालती है। आवेदकों ने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण बाजार हिस्से, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका निष्पादन खराब हुआ है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति का खतरा है जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराता है।
22. तथापि, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए, प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांग सकते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

24. एडी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

25. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dir14-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच में आगे की गतिविधियों से अवगत रहने और प्रश्नावली के प्रपत्र, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई के नोटिस, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखने का निदेश दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से भलि-भांति अवगत रहेंगे।

ट. समय सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पत्तों adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dir14-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले किसी पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया

गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
37. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों / उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या इस जांच अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

Case No. AD (OI) - 30/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel” originating in or exported from China PR.

1. **F.No.6/32/2024-DGTR: POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd. and CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd.** (hereinafter collectively referred to as the “applicants” or the “petitioners” or the “domestic industry”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules” or “Rules”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel” (hereinafter referred to

as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from **China PR** (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicants have alleged that the product under consideration is being imported from the subject country at dumped prices which are causing material injury to the domestic industry. The applicants have also alleged that there is a further threat of material injury to the domestic industry due to dumped imports and have requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the subject investigation is “**Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel**” (**CRNO**). It includes cold-rolled flat steel products of silicon-electrical steel, whether or not in coils, regardless of width and thickness.
4. CRNO is characterized as having substantially the same magnetic and electrical properties in all directions (non-oriented) in the plane of the sheet. In contrast, Grain-Oriented Electrical Steel (GOES) has superior magnetic and electrical properties along the lengthwise direction in the plane of the sheet but less favorable properties in other directions.
5. CRNO is also referred to as Non-Oriented Electrical Steel (NOES), Non-Grain Oriented Steel (NGO), Non-Oriented Steel (NO), Cold-Rolled Non-Grain Oriented Steel (CRNGO) etc. These terms are used interchangeably.
6. PUC includes all kinds of CRNO whether or not it is coated (e.g., with enamel, varnish, natural oxide surface, phosphate surface, or chemically treated with other materials).

Exclusion

7. Cold Rolled Full Hard Silicon Electrical Steel (CRFH) used for manufacturing of CRNO is excluded from the scope of PUC.

Uses

8. CRNO is widely used for iron core materials of rotating machines ranging from large-size power generators to small-size precision electric motors, which are used in variety of applications like home appliances, HEV/EV traction motors, large generators, industrial motors etc.

Tariff classification

9. The product under consideration is classified under HS Codes 72251920, 72251990, 72261920 and 72261990 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of PUC have also been observed in certain other HS Codes viz., 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 and 72261100. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.
10. The domestic industry has proposed the following Product Control Number (PCN) for the product under consideration in the present investigation:

Proposed PCN for PUC				
<u>S.No</u>	Attributes	No. of Digits	Description	Code
1	Thickness	2	upto and including 0.35 mm	T1
			More than 0.35 mm and upto 0.5mm	T2
			More than 0.5mm	T3
2	Core Loss (at a frequency 50 Hz and a maximum flux density of 1.5 Tesla)	2	upto and including 3.50 Watt/Kg	C1
			More than 3.50 Watt/Kg and upto 5.00 Watt/Kg	C2
			More than 5.00 Watt/Kg	C3

11. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and proposed PCNs, if any, within 15 days of date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

12. The applicants have claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

13. The subject country in the present petition is **China PR.**

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

14. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April, 2023 to 31st March, 2024. The injury investigation period covers the periods 1st April, 2020 – 31st March, 2021, 1st April, 2021 – 31st March, 2022, 1st April, 2022 – 31st March, 2023 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND ITS STANDINGS

15. The application has been filed by POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd. and CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd. As per the information available on record, the production of the applicants accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article in India. It is also submitted that POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd. and CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India.
16. On the basis of the information available on record, Authority is satisfied that the applicants namely, POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd. and CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value

17. The applicants have claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.
18. The applicants have also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b. Export price

19. The export price for the subject goods has been computed based on the DG System transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

c. Dumping margin

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that

the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

21. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country. The volume of the subject goods from the subject country has increased in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject country is positive. The landed price of the subject imports had the depressing effect on the prices of the domestic industry. The applicants have claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, their performance have deteriorated in respect of market share, cash profit, profits and return on investment etc. The applicants have also claimed that there is a threat of injury to the domestic industry due to the dumped imports from the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered material injury and facing threat of material injury due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.
22. However, in order to examine the threat of material injury to the domestic industry, the Authority may seek post POI data from the applicant domestic industry and the other interested parties for examination.

H. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

24. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

25. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses- adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dir14-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
26. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification.
27. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
29. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://dgtr.gov.in>) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation.

K. TIME LIMIT

30. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses-adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dir14-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

32. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
33. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
34. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

41. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or

significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority